उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां (राज0)

ख्याः— 4 / 2016

1. नट्टी बाई पुत्री छीतरलाल पत्नि जमनालाल जाति बैरवा निवासी नीलकण्ठ कॉलोनी अन्ता
2. सुशीला बाई पुत्री छीतरलाल पत्नि भैरूलाल जाति बैरवा निवासी तह0 बारां जिला बारां

.....अपीलान्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. सरपंच ग्राम पंचायत मऊ पंचायत समिति अंता जिला बारां
2. अंकित नाबालिग जर्ये वली माता लीला बाई बेवा कालूलाल
3. लीला बाई बेवा कालूलाल जाति बैरवा निवासी मऊ हाल निवासी कोटडी तह0 बारां
4. भैरी बाई बेवा छीतर लाल जाति बैरवा(चमार) निवासी मऊ तह0 मांगरोल
5. सावित्रि बाई बेवा रामदयाल जाति बैरवा (चमार) निवासी कुंज बिहार कॉलोनी बारां जिला बारां
6. निधी पुत्री रामदयाल जाति बैरवा(चमार) निवासी कुंज बिहार कॉलोनी बारां जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं0 945 दिनांक 05.03.2013 ग्राम पंचायत मऊ

पीठासीन अधिकारीः—श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस)

वकील अपीलान्ट्सः— श्री सुनील कुमार गौड़

दिनांकः—26.02.2018

निर्णय

अपीलान्ट्स की ओर से अपील पेश की है जिसके अनुसार वाके माल ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तह0 मांगरोल की आराजी खाता संख्या 98 खसरा नं0 1144 रकबा 2.16 है0 के खातेदार छीतरलाल पुत्र मांग्या व छीता, मथरी पुत्रिया मांग्या जाति चमार के खातेदारी में हिस्सा बराबर दर्ज थीं। छीतरलाल की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान का नाम फौती इन्तकाल ग्राम पंचायत मऊ द्वारा दिनांक 05.03.2013 को तस्दीक किया गया जिसका इन्तकाल नं0 945 है, छीतर लाल खातेदार फौत होने के बाद उसके वारिसान कालूलाल, रामदयाल पुत्र तथा भैरी बाई बेवा छीतर लाल होना बताया तथा पुत्र कालूलाल भी फौत होना बताया है जिसके वारिसान में अंकित नाबालिग पुत्र व बेवा लीला बाई बताई गई है। इस प्रकार फौती इंतकाल में रामदयाल, एवं अंकित नाबालिग लीला बाई तथा भैरी बाई के नाम इन्तकाल खोला गया है, जो गलत है, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। इन्तकाल में छीतरलाल के वारिसान का सजरा गलत बनाया गया है, केवल मात्र छीतर लाल के दो पुत्र कालूलाल, रामदयाल व बेवा भैरी बाई बनाई गई तथा पुत्रियों का अंकन नही किया गया है। जबकि छीतर लाल के अपीलान्ट्स कम 1 व 2 पुत्रियां है, जो जीवित है जिनका हिस्सा व अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित है, जिनका नाम इन्तकाल

तेदारी में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु अपीलान्ट्स का नाम दर्ज ई। इसलिये खोला गया नामान्तकरण निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार छीतरलाल हिस्सा था, जिनके दो पुत्र दो पुत्रिया एक बेवा वारिसान है। पुत्र काललाल फौत हो गया है, के हिस्से के वारिस नाबालिग पुत्र अंकित व बेवा लीला बाई के नाम भी इन्तकाल में साथ ही दर्ज किया गया है। परन्तु अपीलान्ट का नाम इन्तकाल में दर्ज नही किया गया है जबकि अपीलान्ट्स छीतर लाल के हिस्से 1/3 में लगभग बराबर 1/5–1/5 हिस्से के अधिकारी है तथा अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी व नालिशी है। इन्तकाल खोले जाने के बाद रामदयाल भी फौत हो चुका है, जिसके वारिसान के नाम भी इन्तकाल नं0 1033 खोल दिया गया है, जिसके वारिसान के संबंध में अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही है, परन्तु पुराने विवादित इन्तकाल में अपीलान्ट्स का नाम नही आने से रामदयाल का हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया जो गलत है। जबकि वादग्रस्त आराजी में 1/3 में 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था तथा अपीलान्ट्स का नाम 1/5–1/5 हिस्सा बनता है जो अपीलान्ट्स के नाम दर्ज करवाने के अपीलान्ट्स अधिकारी व नालिशी है। अतः ग्राम पंचायत मऊ द्वारा खोले गये इन्तकाल नं0 945 दिनांक 05.03.2013 को निरस्त फरमाया जावे एवं वादग्रस्त आराजी में छीतरलाल पुत्र मांग्या जाति चमार मृतक के स्थान पर फौती इन्तकाल में अपीलान्ट्स का नाम भी समभाग दर्ज किया जावे। एवं राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन करवाया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र विरूद्ध इन्तकाल नं0 945 दिनांक 05.03.2013 ग्राम पंचायत मऊ खारिज किये जाने हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्ट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया, बावजूद रजिस्टर्ड सम्मन के रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 ता 3 व रेस्पोडेन्ट्स क्रम 5 ता 7 आज दिनांक तक अनुपस्थित है अतः रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 ता 3 व रेस्पोडेन्ट्स 5 ता 7 को एक्स पार्टी किया गया। रेस्पोडेन्ट्स क्रम 4 भैरी बाई बेवा छीतरलाल की ओर से अधिवक्ता श्री विकास पोरवाल ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता व स्वंय रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलान्ट्स की अपील के विरूद्ध किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तह0 मांगरोल की आराजी खाता संख्या 98 खसरा नं0 1144 रकबा 2.16 है0 में छीतरलाल की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान के नाम फौती इन्तकाल ग्राम पंचायत मऊ द्वारा दिनांक 05.03.2013 को तस्दीक किया गया जिसका इन्तकाल नं0 945 है जिसके अनुसार उसके वारिसान कालूलाल, रामदयाल पुत्र तथा भैरी बाई बेवा छीतर लाल होना बताया परन्तु छीतरलाल के दो पुत्रिया क्रमशः नट्टी बाई पुत्री छीतरलाल पत्नि जमनालाल जाति बैरवा निवासी नीलकण्ठ कॉलोनी अन्ता व सुशीला बाई पुत्री छीतरलाल पत्नि भैरूलाल जाति बैरवा निवासी तह0 बारां जिला बारां भी मौजूद है जबकि

मऊ द्वारा दिनांक 05.03.2013 को तस्दीक किया गया जिसका इन्तकाल नं0 945 में की पुत्रियों को बराबर का वारिस नही बनाया गया है। अतः ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तह0 की आराजी खाता संख्या 98 खसरा नं0 1144 रकबा 2.16 है0 में छीतरलाल की मृत्यु होने के बाद के वारिसान के नाम फौती इन्तकाल ग्राम पंचायत मऊ द्वारा दिनांक 05.03.2013 को तस्दीक किया गया जिसका इन्तकाल नं0 945 खारिज किया जाता है साथ ही खाता संख्या 371 खसरा नं0 1144 रकबा 2.16 है0 नामान्तकरण संख्या 1033 जिसमें संयुक्त खातेदारों के नाम है में से रामदयाल पुत्र छीतरलाल का जो हि0 1/9 का जो फौती नामान्तकरण खोला है उसमें पुराने विवादित इन्तकाल संख्या 945 में अपीलान्ट्स का नाम नही आने से जो रामदयाल का हिस्सा अंकित किया है वह गलत हो जाने के परिणाम स्वरूप खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिया जाता है कि छीतरलाल के वारिसान एवं सही हिस्सेजात का निर्धारण किया जाकर पुनः इन्तकाल तस्दीक किया जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैशल शुमार होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।